पत्र संख्या : 7ब / 2700–गैर यो० ज०सं०–03 / 2015.........150

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 15-12-15

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700–मुख्य सिंचाई	01 वृहद सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन / 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**877.240**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये आठ करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट उपबंध तथा वित विभाग के पत्रांक–531 / बजट दिनांक–04.09.15 द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि सहित कुल राशि ₹ 16369.60 लाख **(एक सौ तिरेसठ करोड़ उनहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 14/12

(सुखदेव सिंह,)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 150 रॉची, दिनांक :– 15-12-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 14/12

(सुखदेव सिंह)
प्रधान **सचिव**

ज्ञापांक :– 150 रॉची, दिनांक :– 15-12-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	Sukhdev Singh 14/12 **(सुखदेव सिंह)**
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	प्रधान सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–वृहद सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

परिशिष्ट I

पत्रांक 150 दिनांक 15-12-15 का अनुलग्नक

राशि लाख रूपये में

क० सं०	वित्तीय वर्ष 2015–2016		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय		
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन 49N270001001020101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49N270001001020110	एल0टी0सी0 49N270001001020112	देशीय यात्रा व्यय 49N270001001020213	कार्यालय व्यय 49N270001001020315	दूरभाष 49N270001001020333	वर्दी 49N270001001020334	विद्युत व्यय 49N270001001020337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49N270001001020442	विधि प्रभार 49N270001001020760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य अभियंता–चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.800	0.700	0.410	0.000	0.000	2.000	0.000	109.910	
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.090	0.000	0.000	0.300	0.000	30.590	
		कुल आवंटन	136.000	0.000	0.000	0.800	0.900	0.500	0.000	0.000	2.300	0.000	140.500	
2	मुख्य अभि०, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान रॉची	पूर्व का आवंटन	61.000	0.000	0.300	0.500	0.500	0.250	0.000	0.000	0.900	0.000	63.450	
		अतिरिक्त आवंटन	2.300	0.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	2.900	
		कुल आवंटन	63.300	0.000	0.300	0.800	0.750	0.300	0.000	0.000	0.900	0.000	66.350	
3	नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल–रॉची	पूर्व का आवंटन	101.000	0.000	0.300	0.500	0.500	0.150	0.000	0.000	0.500	0.000	102.950	
		अतिरिक्त आवंटन	1.940	0.000	0.000	0.300	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	2.490	
		कुल आवंटन	102.940	0.000	0.300	0.800	0.700	0.200	0.000	0.000	0.500	0.000	105.440	
4	बांध एवं गेट रूपांकण अंचल 1, रॉची	पूर्व का आवंटन	125.000	0.000	0.300	0.500	0.500	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	127.300	
		अतिरिक्त आवंटन	2.720	0.000	0.000	0.300	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	3.270	
		कुल आवंटन	127.720	0.000	0.300	0.800	0.700	0.250	0.000	0.000	0.800	0.000	130.570	
5	योजना एवं आयोजन अंचल, रॉची	पूर्व का आवंटन	137.000	0.000	0.000	0.800	0.550	0.200	0.000	0.000	0.600	0.100	139.250	
		अतिरिक्त आवंटन	90.000	0.000	0.000	0.600	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	91.050	
		कुल आवंटन	227.000	0.000	0.000	1.400	0.700	0.200	0.000	0.000	0.900	0.100	230.300	
6	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1 रॉची	पूर्व का आवंटन	157.000	0.000	0.350	0.800	0.500	0.150	0.000	0.000	0.800	0.050	159.650	
		अतिरिक्त आवंटन	72.610	0.000	0.000	0.600	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	73.610	
		कुल आवंटन	229.610	0.000	0.350	1.400	0.700	0.150	0.000	0.000	1.000	0.050	233.260	
7	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2 देवघर	पूर्व का आवंटन	43.000	0.000	0.000	1.037	0.250	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	44.587	
		अतिरिक्त आवंटन	53.000	0.000	0.000	0.400	0.200	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	54.200	
		कुल आवंटन	96.000	0.000	0.000	1.437	0.450	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	98.787	
8	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	160.740	0.000	0.400	0.600	0.500	0.150	0.000	0.400	0.800	0.100	163.690	
		अतिरिक्त आवंटन	5.400	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.400	0.000	6.000	
		कुल आवंटन	166.140	0.000	0.400	0.600	0.600	0.150	0.000	0.500	1.200	0.100	169.690	
9	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	390.000	0.000	0.200	0.800	0.400	0.100	0.000	1.000	0.800	0.200	393.500	
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	11.100	
		कुल आवंटन	400.000	0.000	0.200	1.200	0.500	0.100	0.000	1.300	1.100	0.200	404.600	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2015–2016		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270001001020101	49N270001001020110	49N270001001020112	49N270001001020213	49N270001001020315	49N270001001020333	49N270001001020334	49N270001001020337	49N270001001020442	49N270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	310.000	0.000	0.200	0.500	0.400	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	312.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.130	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.230	
		कुल आवंटन	310.000	0.000	0.200	0.630	0.400	0.000	0.000	0.300	0.800	0.000	312.330	
11	पुनर्वास पदा0 सं0–1 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	99.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	99.700	
		अतिरिक्त आवंटन	117.410	0.000	0.000	0.400	0.200	0.000	0.000	0.100	0.500	0.020	118.630	
		कुल आवंटन	216.410	0.000	0.000	0.600	0.400	0.000	0.000	0.100	0.800	0.020	218.330	
12	बराज प्रमंडल–गालुडीह	पूर्व का आवंटन	320.330	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	320.930	
		अतिरिक्त आवंटन	11.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.540	
		कुल आवंटन	331.870	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	332.470	
13	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–4 गालूडीह	पूर्व का आवंटन	216.810	0.000	0.000	0.580	0.400	0.000	0.000	1.000	0.000	0.300	219.090	
		अतिरिक्त आवंटन	12.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	12.400	
		कुल आवंटन	229.010	0.000	0.000	0.580	0.400	0.000	0.000	1.200	0.000	0.300	231.490	
14	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–12 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	323.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.100	0.000	0.300	0.000	1.200	325.200	
		अतिरिक्त आवंटन	159.910	0.000	0.000	0.300	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.000	160.360	
		कुल आवंटन	482.910	0.000	0.000	0.500	0.400	0.150	0.000	0.400	0.000	1.200	485.560	
15	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	127.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	127.700	
		अतिरिक्त आवंटन	94.720	0.000	0.000	0.400	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.150	95.570	
		कुल आवंटन	221.720	0.000	0.000	0.600	0.400	0.100	0.000	0.000	0.300	0.150	223.270	
16	विशेष भू–अर्जन पदा0–1 स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	192.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.300	0.600	0.400	193.900	
		अतिरिक्त आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.300	
		कुल आवंटन	267.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.300	0.600	0.400	269.200	
17	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला	पूर्व का आवंटन	195.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	195.400	
		अतिरिक्त आवंटन	66.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.000	
		कुल आवंटन	261.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	261.400	
18	स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या–1, घाटशिला	पूर्व का आवंटन	148.000	0.000	0.000	0.770	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	149.270	
		अतिरिक्त आवंटन	62.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	62.000	
		कुल आवंटन	210.000	0.000	0.000	0.770	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	211.270	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		866.750	0.000	0.000	4.330	2.100	0.490	0.000	0.900	2.500	0.170	877.240	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– आठ करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

150
15-12-15

14/12

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव